FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL
JAIPUR, RAJASTHAN

APPEAL NO.FA/0119/2017

Madan lal
Vs.
State of Rajasthan & others

RECORD OF PROCEEDINGS

Date: 09.04.2018

Present :-
Shri Mayank Gupta, Advocate for appellant
Shri Abhijit Sharma Advocate on behalf of Shri V.D.Gathala, Dy. Government Advocate for respondent

यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, कोटपूतली के आदेश दिनांक 08.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत अपील अवधि भीतर नहीं है।

मियाद के बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता के बीच सम्प्रेषण के सद्भाविक गतिरोध के कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है जिसे क्षमा किया जाए।

आलौच्य आदेश दिनांक 08.01.2015 का है। अपीलान्ट का यह कथन कि तत्समय यह अधिकरण कार्यशील नहीं था परन्तु अपीलान्ट के स्वयं के अनुसार अधिकरण कार्यशील नहीं होने से उसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एसबी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 19512/2015 की समादेश याचिका प्रस्तुत की गई जिसे अपीलान्ट ने दिनांक 29.05.2017 को इस निवेदन के साथ वापस लिया कि वे अब अधिकरण में अपील प्रस्तुत करना चाहते है और अपीलान्ट को समादेश याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई।

अपीलान्ट का यह दायित्व था कि वह अपील को दिनांक 29.05. 2017 के बाद यथाशीघ्र इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते। अधिकतम अवधि के पश्चात 30 दिन की अवधि ओर उसे दी जा सकती थी अर्थात यह अपील दिनांक 28.07.2017 तक आवश्यक रूप से पेश

कर देनी चाहिए थी। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे ज्ञान नहीं था एवं अधिवक्ता व उसके बीच सम्प्रेषण का गतिरोध भी कतई पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं है।

जहां विशेष विधि द्वारा अवधि प्रावधानित कर दी गई हो तो धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते।

यह अपील अवधि बाहर होने के कारण सुनवाई के लिए ग्रहण नहीं की जा सकती।

(Umesh Kumar Sharma)
Presiding Officer

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर
सत्यमेव जयते
FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL, JAIPUR